न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 32 / 2013 जिला सीकर

1. कानाराम पुत्र श्री जग्गूराम
2. सुखाराम पुत्र श्री जग्गूराम
3. मिश्री देवी पुत्री श्री जग्गू राम
4. छोटी देवी पुत्री श्री जग्गू राम
   जाति कहार, निवासी कहारों की ढाणी, तन बाजोर, तहसील व जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. किशन लाल
2. पप्पू लाल
3. मंगलराम
   पुत्रान लक्ष्मणराम, जाति कहार, निवासी कहारों की ढाणी, तन बाजोर, तहसील व जिला सीकर ।
4. तेजाराम
5. बलवीर
   पुत्रान लक्ष्मणराम, जाति कहार, निवासी मेहरों की ढाणी, टोददास की बगीची के पास, कुचामन जिला नागौर ।
6. हीरा लाल पुत्र लक्ष्मणराम जाति कहार निवासी सोडाला, तहसील व जिला जयपुर ।
7. सुरजी देवी पुत्री लक्ष्मणराम जाति कहार, निवासी सरकडा तहसील खेतडी, जिला झुंझुंनू ।
8. सरपंच ग्रम पंचायत बाजोर, तहसील व जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 24.4.2013

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक– 24.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर के निर्णय दिनांक 24.4.2013 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम बाजोर, तहसील व जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 13 बिस्वा, खसरा 313 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा , खसरा नम्बर 314 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा , खसरा नम्बर 315 रकबा 2 बिस्वा , खसरा नम्बर 316

रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार हनुमान पुत्र मांगू था । उक्त भूमि के दौराने सैटलमेन्ट नये खसरा नम्बर 634 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 635 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 632 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 633 रकबा 1.36 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.81 हैक्टेब्यर व खसरा नम्बर 695 रकबा 0.23 हैक्टेयर एवं नया राजस्व ग्रम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर कायम हुये । हनुमान के दत्तक पुत्र जगूराम की हनुमान के जीवनकाल में मृत्यु हो जाने के कारण मृतक खातेदार हनुमान की विरासत का नामांतरकरण संख्या 222 ग्रम पंचायत बाजोर द्वारा दिनांक 28.7.2009 को दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्र व पुत्रियों के नाम तस्दीक कर दिया एवं मृतक खातेदार हनुमान की जायन्ता पुत्री गुमानी को छोड दिया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 28.7.2009 से व्यथित होकर मृतक खातेदार हनुमान की पुत्री गुमानी के पुत्र किशन लाल द्वारा प्रथम अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रस्तुत की गई जो अपीलधीन निर्णय दिनांक 24.4.2013 द्वारा राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से अपीलान्ट एवंरेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 10 स्व. हनुमान के वारिस तथा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 से 10 की जन्मदाता माता गुमानी हनुमान पुत्र मांगू की जायन्दा पुत्री का दत्तक पुत्र जगुराम के समान ही हक हिस्सा था, परन्तु हनुमान के दत्तक पुत्र जगुराम की हनुमान के जीवनकाल में ही मृत्यु हो जाने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 जो जगुराम के वारिस है, के अकेले के नाम नामांतरकरण संख्या 222 गलत रूप से स्वीकृत किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 28.7.2009 निरस्त किया जाकर मृतक हनुमान पुत्र मांगू के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 ता 10 के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश तहसीलदार सीकर को दिये गये ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उप खण्ड अधिकारी सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.4.2013 से व्यथित होकर मृतक खातेदार हनुमान के दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्र पुत्रियों द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर नामांतरकरण संख्या 222 कायम रखा जावे एवं संबंधित उप खण्ड अधिकारी सीकर के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर उनकी पेंशन रोकी जाने व सी.आई.डी. या अन्य एजेन्सी से जॉच किये जाने हेतु जिला कलक्टर सीकर को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । बहस के दौरान रेस्पोंडेन्ट्स की ओर से काई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के मृतक खातेदार हनुमान के जीवनकाल में ही उनके दत्तक पुत्र जगूराम फौत हो गया था इसलिये हनुमान की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा बाद जॉच हनुमान के दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम तस्दीक किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि उक्त प्रनगत नामांतरकरण की अपील रेस्पोंडेन्ट्स द्वारा दिनांक 9.4.2013 को पेश की व दिनांक 15.4.2013 की पेशी हुई एवं दिनांक 16.4.13 को 22.4.13 की पेशी दी गई व 22.4.13 को एकपक्षिय कार्यवाही कर दिनांक 14.4.13 को मात्र 15 दिवस में ही अदम तामिल नोटिसों की तामिल मानकर अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर रिटायरमेन्ट के 6 दिवस पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.4.13 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 5,7,13 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया व शेष की तामिल हेतु प्रकरण रखा व दिनांक 24.4.13 की पेशी दी गई । अधीनस्थ न्यायालय के न तो कोई नोटिस पेश हुये , न जारी हुये और न ही एकपक्षीय कार्यवाही हुई , लेकिन निर्णय में अनुपस्थिति अंकित करते हुये निर्णय देने में सरासर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि पक्षकारों के मध्य दावा विचाराधीन था जिसके निर्णय तक नामांतरकरण की कार्यवाही स्थगित रखनी चाहिये थी , लेकिन इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया । पीठासीन अधिकारी दिनांक 30.4.13 को सेवानिवृत्त होने वाले थे इसलिये अपीलान्ट्स को लाभान्वित करने के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 24.4.2013 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखा जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवाद विवादित भूमि के मृतक खातेदार हनुमान की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण के संबंध में है । ग्रम पंचायत बाजोर द्वारा मृतक खातेदार हनुमान की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 28.7.2009 को दत्तक पुत्र जगुराम के पुत्र कानाराम, सुखाराम व पुत्रियॉ मिश्री देवी व छोटी देवी के नाम स्वीकार किया गया । दूसरी ओर विवादित भूमि के मृतक खातेदार हनुमान की जायन्दा पुत्री गुमानी को प्रश्नगत नामांतरकरण में छोड दिये जाने पर गुमानी के पुत्र किशन लाल की अपील अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलधीन आदेश दिनांक 24.4.2013 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 222 दिनांक 28.7.2009 निरस्त किया गया एवं मृतक हनुमान पुत्र मांगू के समस्त प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम अर्थात अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 ता 10 के नाम 1/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश

तहसीलदार सीकर को दिये गये ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील 9.4.2013 को किशन लाल पुत्र गुमानी द्वारा प्रस्तुत की थी जिसमें पेशी दिनांक 16.4.13, 22,4,13 एवं 24.4.13 में ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट्स को जारी नोटिसों में आगामी पेशी का अंकन नहीं है तथा नोटिस खुले मकान पर चश्पा करने का अंकन कर तामिल मानी गई है । अपीलान्ट संख्या 1 से 4 विवादित भूमि के मृतक खातेदार हनुमान के दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्र एवं पुत्रियॅा है । जगूराम दत्तक पुत्र हनुमान , जो हनुमान के जीवनकाल में ही फौत हो गया था इसलिये प्रश्नगत नामांतरकरण जगूराम के पुत्र एवं पुत्रियों के नाम ग्रम पंचायत ने तस्दीक किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 से 4 को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही उनके अधिकारों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । इतना ही नहीं पीठासीन अधिकारी दिनांक 30.4.2013 को सेवानिवृत्त होने वाले थे इसलिये प्रकरण में नजदीकी पेशियॅा देकर मात्र चार पेशियों में ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है तथा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 4 की तामिल भी विधिवत नहीं कराई है । हम समझते हैं कि अपीलान्ट मृतक खातेदार हनुमान के मृतक दत्तक पुत्र जगूराम के पुत्र एवं पुत्रियॅा होने से प्रभाावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 24.4.2013 विधिविरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 24.4.2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर